"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 133] रायपुर, शनिवार, दिनांक 7 अप्रैल 2018 — चैत्र 17, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्रमांक 3476/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ. ग./18. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 03-04-2018 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 8 सन् 2018)

छत्तीसगढ़ निरसन अधिनियम, 2018

कतिपय अधिनियमितियाँ, जो अप्रचलित हो चुकी है और जिनका अस्तित्व, पृथक अधिनियम के रूप में अनावश्यक हो गया है, को निरसित करने के लिये तथा उससे संबंधित और उसके आनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ निरसन अधिनियम, 2018 कहलाएगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

निरसन.

2. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, उसके चौथे कॉलम में वर्णित सीमा तक एतद्द्वारा निरसित की जाती है.

व्यावृत्ति.

3. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति का निरसन, किसी ऐसी अन्य अधिनियमिति पर प्रभाव नहीं डालेगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू, निगमित या निर्दिष्ट की गई हो;

और यह अधिनियम, पहले की गई या हो चुकी किसी बात की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम पर अथवा पहले ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व पर या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही पर अथवा किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावे या मांग की या उसकी किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन पर अथवा पहले ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति पर अथवा भूतकाल में किये गये किसी कार्य या बात के सबूत पर प्रभाव नहीं डालेगा;

और न यह अधिनियम, विधि के किसी सिद्धांत या नियम पर अथवा स्थापित अधिकारिता, अभिवचन के प्ररूप या अनुक्रम, पद्धति या प्रक्रिया अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, पद या नियुक्ति पर, इस बात के होते हुये भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमश: किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्द्वारा निरसित है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यता प्राप्त है या व्युत्पन्न है;

और न इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.

अनुसूची

(धारा 2 देखिये)

निरसन

वर्ष (1)	क्र. (2)	संक्षिप्त नाम (3)	निरसन की सीमा (4)
1876	छः	छोटा नागपुर भारग्रस्त संपदा अधिनियम, 1876	संपूर्ण
1881	अट्ठारह	मध्य प्रांत भू-राजस्व अधिनियम, 1881	संपूर्ण
1898	ग्यारह	मध्य प्रांत किरायेदारी अधिनियम, 1898	संपूर्ण
1899	चौबीस	मध्य प्रांत प्रतिपाल्य न्यायालय अधिनियम, 1899	संपूर्ण
1908		मध्य प्रांत वित्तीय आयुक्त अधिनियम, 1908	संपूर्ण

नया रायपुर, दिनांक 7 अप्रैल 2018

क्रमांक 3476/डी. 61/21-अ/प्रारू./छ. ग./18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 7-4-2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष कुमार ठाकुर, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT

(No. 8 of 2018)

THE CHHATTISGARH REPEALING ACT, 2018

An Act to provide for repealing certain enactments which have become obsolete and therefore existence whereof as separate Act has become unnecessary and for the matters connected therewith and incidental thereto.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-ninth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Repealing Act, 2018.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Repeal.

2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.

Saving.

3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied, incorporated or referred to;

and this Act shall not affect the validity, invalidity, effect or consequences of anything already done or suffered, or any right, title, obligation or liability already acquired, accrued or incurred, or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation, liability, claim or demand, or any indemnity already granted, or the proof of any past act or thing;

nor shall this Act affect any principle or rule of law, or established jurisdiction, form or course of pleading, practice or procedure, or existing usage, custom, privilege, restriction, exemption, office or appointment, notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed, recognised or derived by, in or from any enactment hereby repealed;

nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction, office, custom, liability, right, title, privilege, restriction, exemption, usage, practice, procedure or other matter or thing that does not exist or in force.

THE SCHEDULE
(See Section 2)

REPEALS

Year (1)	No. (2)	Short Title (3)	Extent of Repeal (4)
1876	VI	The Chota Nagpur Encumbered Estates Act, 1876	The whole
1881	XVIII	The Central Provinces Land-Revenue Act, 1881	The whole
1898	XI	The Central Provinces Tenancy Act, 1898	The whole
1899	XXIV	The Central Provinces Court of Wards Act, 1899	The whole
1908		The Central Provinces Financial Commissioner's Act, 1908	The whole

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.